



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 16 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 11.02.2020

श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा 197, थाना के सामने, इन्दिरा कॉलोनी, रावतभाटा
बनाम
सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 03.03.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 31.12.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 16/2020/(03.03)/121 दिनांक 11.02.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं को दिनांक 03.03.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 03.03.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)




| |
|---|
| प्रकरण संख्या 16/2020 (सू.अ.) |
| श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी रावतभाटा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं |

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेंट्स प्रस्तुत किए।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.12.2019 से दो बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गईं, परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उनके स्तर पर इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।




(चेतन देवड़ा)

लोक सूचना अपीलार्थी प्रस्ता.
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 16 / 2020 (सू.अ.) / 208

दिनांक:- 02 / 02 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
2. श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा 197, थाना के सामने, वार्ड नं. 10, इन्दिरा कॉलोनी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़


लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)